

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामसिंह बनाम राकेश वगै0

मु0नं0-02 / 2017

किस्म मुकदमा-इजराय

पीठासीन अधिकारी- यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

22.07.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह इजराय प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में निर्णित पत्रावली रामसिंह बनाम राकेश वगै0 मु0नं0 121/2013 निर्णय दिनांक 19.11.2013 के संबंध में पेश की गई है। उक्त निर्णय में प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया गया था जिसकी पालना के संबंध में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। लेकिन प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादीगण द्वारा किस प्रकार से निर्णय की अवेहलना की जा रही है। एवं यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी/प्रार्थी को हैरान परेशान किया जाता है तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करें। इसलिए इस स्तर पर यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र इजराय खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

